न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष – विष्णु साहु ....बगैरह ।

बनाम

वाद सं0 06/2023

द्वितीय पक्ष – पवन साहु ..... बगैरह।

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
03/11/23	उक्त वाद की कार्रवाई थाना कुरकुरा के अप्राथमिकी सं0 01/2023 दिनांक 30/01/2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** (1) विष्णु साहु उम्र 23 वर्ष पिता नरेश साहु (2) नरेश साहु उम्र 50 वर्ष पिता स्व0 बसंत साहु दोनो ग्राम नाथपुर थाना कुरकुरा जिला **बनाम द्वतीय पक्ष** (1) पवन साहु उम्र 30 वर्ष पिता सुरेश साहु (2) सुरेश साहु उम्र 55 वर्ष पिता स्व0 बसंत साहु दोनो ग्राम रमापुर थाना कुरकुरा जिला गुमला के बीच कुरकुरा थाना कांड सं0 01/2023 दिनांक 26/01/2023 धारा 341, 342, 323, 506, भा0दं0सं0 के पूर्व विवाद को लेकर हैं। फलस्वरूप उभय पक्षो के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :– उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कुरकुरा या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई की समयअवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । (Stamp: कार्यालय अनुमण्डल पदाधिकारी बसिया (गुमला) — सत्यमेव जयते) 3/11/23 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)। Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM Date: 2024.07.09 14:03:46 +05:30 Location: 192.168.1.10	